

मार्च 26, 2020

कार्यकारी आदेश 2020-14

**COVID-19 के लिए कार्यकारी आदेश
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 12)**

जबकि, 2019 के उत्तरार्ध में, कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) का एक नया और उल्लेखनीय प्रकोप उभरा; और,

जबकि, COVID-19 एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो व्यक्तियों में श्वसन संचारों के माध्यम से फैल सकता है और इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

जबकि, COVID-19 के परिणामस्वरूप कुछ जनसमूह अधिक गंभीर रुग्णता का अनुभव करने के उच्चतर जोखिम में हैं, जिनमें वृद्ध वयस्क एवं गंभीर दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों के रोग या अन्य मानसिक या शारीरिक स्थितियों से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं; और,

जबकि, COVID-19 को रोकने के प्रयासों के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संघीय रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों (CDC) ने यह घोषणा की है कि इसका फैलना अपेक्षित है; और,

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (“राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा” (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)); और,

जबकि, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने COVID-19 को एक वैश्विक महामारी के रूप में अभिलक्षित किया था; और,

जबकि, रोग नियंत्रण केंद्र (सीडीसी) सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित महत्वपूर्ण राहत उपायों की सिफारिश करता है, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छह फीट की दूरी बनाए रखनी होती है, और हमारे समुदायों में COVID-19 के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोपरि रणनीति है; और,

जबकि, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की संपूर्ण अवधि के दौरान, इलिनॉय के निवासियों को महत्वपूर्ण व्यक्तिगत एवं व्यापारिक निर्णय लेते रहना होगा और ऐसे आयोजना (प्लानिंग) दस्तावेजों को अंतिम रूप देने रहना होगा जिनके लिए प्रायः किसी लेख्य प्रमाणक (नोटरी पब्लिक) की सेवाओं या साक्षी की आवश्यकता होती है, पर CDC दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए उन महत्वपूर्ण आमने-सामने के व्यवहारों/बातचीत से अधिकतम संभव सीमा तक बचना चाहिए; और,

जबकि, इलिनॉय के सभी निवासी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत एवं व्यापारिक निर्णय लेना और आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देना जारी रख सकें यह सुनिश्चित करते हुए इस कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप की प्रतिक्रिया में राज्य के लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षण को बढ़ावा देने एवं सुरक्षित करने के उपाय तत्काल करना इलिनॉय राज्य के लिए आवश्यक और उपयुक्त है; और,

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(3) और 7(12) के अनुसरण में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

धारा 1. कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप से संबंधित राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, यह आवश्यकता कि व्यक्ति को इलिनॉय लेख्य प्रमाणन अधिनियम (नोटरी एक्ट), 5 ILCS 312/6-102 के अनुसरण में इलिनॉय के कानूनों के अंतर्गत अधिकृत लेख्य प्रमाणक (नोटरी पब्लिक) “के समक्ष उपस्थित” होना होगा, संतुष्ट होती है यदि लेख्य प्रमाणक (नोटरी पब्लिक) दोतरफ़ा

ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ प्रमाणन (नोटराइजेशन) करे, बशर्ते कि इलिनॉय में अधिकृत लेख्य प्रमाणक (नोटरी पब्लिक) प्रमाणन कृत्य करते समय राज्य के अंदर भौतिक रूप से उपस्थित हो और संव्यवहार में इलिनॉय राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) द्वारा उनकी वेबसाइट पर चर्चों की गई मार्गदर्शन का पालन किया गया हो।

अनुभाग 2. कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप से संबंधित राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, इलिनॉय के कानून द्वारा आवश्यक किया गया साक्षी होने का कोई भी कृत्य, दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ ढंग से पूर्ण किया जा सकता है, बशर्ते कि:

- a. दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (“हस्ताक्षरकर्ता”) और साक्षी के बीच दृष्टि और ध्वनि के द्वारा प्रत्यक्ष एवं समकालीन व्यवहार/बातचीत को संभव बनाती हो;
- b. हस्ताक्षरकर्ता या हस्ताक्षरकर्ता के नामित व्यक्ति द्वारा दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी का कम-से-कम तीन वर्षों की अवधि तक अभिलेखन और परिरक्षण करना होगा;
- c. हस्ताक्षरकर्ता को दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार के दौरान इलिनॉय में भौतिक रूप से स्थिति होने का अनुप्रमाणन करना होगा;
- d. साक्षी को दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार के दौरान इलिनॉय में भौतिक रूप से स्थिति होने का अनुप्रमाणन करना होगा;
- e. हस्ताक्षरकर्ता को दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार पर स्वीकारात्मक ढंग से यह बोलना होगा कि हस्ताक्षरकर्ता किस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर रहा है;
- f. साक्षी जिस दस्तावेज़ का साक्षी हो रहा है उसका प्रत्येक पृष्ठ, दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी पर साक्षी को स्पष्ट रूप से पठनीय ढंग से दिखाया जाना होगा और साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षरकर्ता को उस पर प्रथमाक्षर लिखने होंगे;
- g. हस्ताक्षर करने के कृत्य को दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार पर इतनी पास से दर्ज किया जाना होगा कि साक्षी उसे देख सके;
- h. हस्ताक्षरकर्ता को संपूर्ण हस्ताक्षरित दस्तावेज़ की एक पठनीय प्रति फ़ैक्स या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से सीधे साक्षी को दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले दिन से अगला दिन समाप्त होने से पहले-पहले भेजनी होगी;
- i. साक्षी को दस्तावेज़ की प्रेषित प्रति पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करना होगा और दस्तावेज़ की हस्ताक्षरित प्रति फ़ैक्स या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से वापस हस्ताक्षरकर्ता को प्राप्ति के 24 घंटों के अंदर भेजनी होगी; और
- j. यदि आवश्यक हो तो साक्षी, हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मूल निष्पादन के दिनांक वाले मूल हस्ताक्षरित दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर सकता है, बशर्ते साक्षी को वह प्रति जिसका वह इलेक्ट्रॉनिक ढंग से साक्षी था, और मूल हस्ताक्षरित दस्तावेज़, दूरस्थ ढंग से साक्षी होने के दिनांक से तीस दिनों के अंदर प्राप्त हो जाएं।

अनुभाग 3. इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य सुरक्षा अधिनियम (इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिक्योरिटी एक्ट), 5 ILCS 175/5-120(c) की धारा 5-120(c) के वे सभी उपबंध पूर्णरूपेण प्रभावी रहेंगे जो कुछ विशेष दस्तावेज़ों पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को निषिद्ध करते हैं।

अनुभाग 4. कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, इलिनॉय राज्य के किसी भी प्रतिकूल कानून या विनियम के बावजूद, किसी दस्तावेज़ में प्रतिकरूपों पर हस्ताक्षर करने के विरुद्ध स्पष्ट निषेध की अनुपस्थिति में, समस्त कानूनी दस्तावेज़, जिनमें विलेख, अंतिम वसीयतें और इच्छापत्र, न्यास, संपत्ति हेतु स्थायी मुख्तारनामे, और स्वास्थ्य देखभाल हेतु मुख्तारनामे शामिल हैं, साक्षी(साक्षियों) और हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिकरूपों पर हस्ताक्षरित किए जा सकते हैं। यदि लेख्य प्रमाणक (नोटरी पब्लिक) से किसी दस्तावेज़ के समक्ष साक्षियों की उपस्थिति प्रमाणित करने को कहा जा रहा है तो लेख्य प्रमाणक (नोटरी पब्लिक) के समक्ष दस्तावेज़ के हस्ताक्षर पृष्ठों की वह फ़ैक्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए जो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए जाने वाले दिनांक पर ही साक्षी के हस्ताक्षर दर्शाती हों।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 26 मार्च, 2020

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) द्वारा दायर 26 मार्च, 2020